गूगल के भरोसे शहर में घुस रहे ट्रक-बस ड्राइवर

▶ दो दिन में 2 लाख का चालान, पुलिस ने दी हिदायत

नव भारत न्यूज

इंदौर. ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक और बस चालकों को दो टूक हिदायत दी है, शहर में प्रवेश के लिए गूगल मैप का अंधविश्वास न करें, दरअसल, ज्यादातर ड्राइवर गूगल के बताए रास्ते से नो-एंट्री जोन में पहुंच रहे हैं, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन रही है.

सिपाही सुमंत सिंह ने कई बार ऐसे वाहनों के वीडियो जारी किए, बावजूद इसके स्थिति में खास सुधार नहीं दिख रहा. पिछले दो दिनों में पुलिस ने 41 नो-एंट्री में घुसने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है. पुलिस ने ट्रक ऑपरेटरों के

साथ बैठक कर चेतावनी दी कि भारी वाहन केवल निर्धारित मार्ग से ही शहर में प्रवेश करें.पुलिस ने नो एंट्री क्षेत्र में घुसे भारी वाहनों पर कल भी कार्रवाई. इस दौरान 7 वाहनों के चालकों का चालान काटते हुए 35 हजार का शुल्क वसूल किया,

हेल्पलाइन पर शिकायतों की भरमार

ट्रैफिक हेल्पलाइन पर शिकायतों का अंबार लग गया है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कल भी एक दिन में 20 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 15 का निपटारा कर दिया गया. अब तक 709 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 689 का समाधान किया जा चुका है. शेष 20 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है. अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश शिकायतें उन्हीं इलाकों से आती हैं, जहां जाम और पार्किंग की समस्या स्थायी रूप से बनी हुई है. शिकायतों में स्कूल-बसों का बीच सड़क पर रुकना, पुलों पर पार्किंग, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर बेतरतीब खड़े रिक्शे, मूसाखेड़ी इलाके में मजदूरों का सड़क किनारे जमाव और सिटी बसों की अव्यवस्था प्रमुख हैं.

प्लॉट विवाद और पुलिस की अनदेखी से निराश युवक ने जहर खाया

▶ सुसाइड नोट में पुलिस से की परिवार को परेशान न करने की अपील

नव भारत न्यूज

इंदौर. छत्रीपुरा इलाके में रहने वाले 34 वर्षीय युवक ने प्लॉट विवाद और मानसिक तनाव के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि भूमाफिया ने ऋषि नगर स्थित उनके प्लॉट पर कब्जा कर उसे बेच दिया, जिसकी शिकायत द्वारकापुरी थाने में करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस की बेरुखी और लगातार मिल रही

धमकियों से युवक डिप्रेशन में चला गया था.

थाना प्रभारी केपी यादव ने बताया कि एमओजी लाइन निवासी रिटायर्ड जेल प्रहरी कमलेश दुबे का बेटा अंकित दुबे रविवार रात अपने दोस्त को अस्पताल देखने गया था. रात करीब 11 बजे लौटने के बाद वह अपने कमरे में चला गया. देर रात करीब तीन बजे पिता की नींद खुली तो अंकित को बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ा देखा. उन्होंने तत्काल सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. परिवार उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घर की तलाशी में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें अंकित ने लिखा कि वह अपनी मर्जी से जान दे रहा है और किसी को दोषी नहीं ठहराया जाए. उसने परिवार से यह भी कहा कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और वे इस मामले में परेशान न हों. छत्रीपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सुसाइड नोट और किसी भी विवाद से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल कर रही है.

एक नजर में

दो आदतन बदमाशों को किया जिलाबदर

इंदौर. तुकोगंज थाना क्षेत्र के दो शातिर बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त न्यायालय ने उन्हें जिले से निष्कासित कर दिया है. आदेश के तहत 21 वर्षीय विवेक काना पिता हंसराज बरुआ निवासी पंचम की फेल और 30 वर्षीय आनंद उर्फ भूरा पिता कैलाश मोर निवासी काजी की चाल को जिलाबदर किया गया है. थाना प्रभारी जितेन्द्र यादव ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, विवेक काना के खिलाफ करीब एक दर्जन प्रकरण दर्ज हैं और उस पर नौ बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है. लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने पर उसे रासुका के तहत छह माह के लिए इंदौर सहित आसपास के जिले उज्जैन, देवास, धार और खरगोन की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए हैं. वहीं, आनंद उर्फ भूरा के खिलाफ नौ से अधिक अपराध दर्ज हैं. उसके खिलाफ भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन सुधार नहीं दिखने पर उसे एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है.

मारपीट और अवैध हथियार के चार मामले दर्ज

इंदौर. शहर में देर रात से लेकर सुबह तक अलग-अलग इलाकों में मारपीट और अवैध हथियार रखने के चार मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें दो मामलों में तीन युवकों को झगड़े और चाकूबाजी में पकड़ा, जबकि दो मामलों में पुलिस ने नाबालिगों के पास से धारदार हथियार जब्त किए. पुलिस के मुताबिक, रात करीब साढ़े दस बजे स्टार सिटी गार्डन के पास पुराने विवाद को लेकर दो युवकों में झगड़ा हो गया. 18 वर्षीय रवि पंवार निवासी सिलीकॉन सिटी, अपने चचेरे भाई पवन के साथ बैठा था, तभी उसका परिचित 18 वर्षीय रोहित राठौर निवासी पलास परिसर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. मना करने पर झूमाझटकी के दौरान रोहित ने चाकू से रवि की पीठ पर वार कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. वहीं, गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले 18 वर्षीय शहनवाज के कब्जे से लोहे का धारदार छुरा जब्त कर उस पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर पूछताछ की जा रही है. जबकि, गली नंबर 3, मेघदूत नगर में ई-रिक्शा चालक 32 वर्षीय गोलू पिता महादेव भराट पर मोनु पिता दत्ता मंचले ने बंके से हमला कर दिया. गाली-गलौज के विवाद के बाद आरोपी ने उसकी पीठ पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. हवा बंगला रोड टर्निंग के पास नगर निगम की बाउंड्री वॉल के समीप 16 वर्षीय किशोर ईशू राठौर निवासी द्वारकापुरी को पुलिस ने पकड़ा. उसके पास से बिना लाइसेंस का नोकदार स्प्रिंग वाला बटनदार चाकू मिला आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई. सभी मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

बस ने एक्टिवा सवार दंपती को मारी टक्कर

इंदौर. आईटी पार्क चौराहा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस ने पीछे से एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे दंपती घायल हो गए. घटना के बाद पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. भंवरकुआं थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि 48 वर्षीय शिकायतकर्ता आदित्य कुमार भार्गव निवासी श्रीकृष्णा एवेन्यू, लिम्बोदी अपनी पत्नी के साथ एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान बस नम्बर एमपी 11 जेडबी 9913 का चालक ने लापरवाहीपूर्वक तेज गति से बस चलाते हुए पीछे से उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए और उन्हें पैर व कोहनी में चोटें आई. हादसे में एक्टिवा भी क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कोर्ट परिसर में दिया पत्नी को तीन तलाक, केस दर्ज

इंदौर. कोर्ट परिसर में पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में महिला पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज किया है. घटना जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के कोर्ट रूम नंबर 14 के बाहर की बताई गई है. थाना प्रभारी श्रद्धा यादव ने बताया कि 24 वर्षीय फरियादिया अमरीन खान निवासी लक्ष्मीबाग कॉलोनी, खजराना ने शिकायत की कि उसके पति शोहेल खान ने उसे कोर्ट परिसर में तीन तलाक कह दिया. इस पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फरियादिया के बयान लिए और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. यादव का कहना है कि मुस्लिम महिला अधिकार अधिनियम के तहत तीन तलाक देना दंडनीय अपराध है, इस पर सख्त सजा का प्रावधान है.

बेटे को ट्रैक्टर से टक्कर मारी, बाप को लाठी-डंडे से पीटा

इंदौर. क्षिप्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बीसाखेड़ी के एक खेत में जमीन-संपत्ति विवाद को लेकर हुए बवाल में एक युवक को ट्रैक्टर से ठोकर मारकर उसके पिता पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपियों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिजलीकर्मियों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता प्रारंभ

इंदौर. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में रचनात्मक गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम में खंडवा रोड इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में एथेलेटिक्स प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सोमवार को मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान, मुख्य अभियंता कामेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव संजय मालवीय की मौजूदगी में हर्षोल्लास के साथ हुआ. एथेलेटिक्स प्रतियोगिताओं में कंपनी क्षेत्र के इंदौर, उज्जैन क्षेत्र के विभिन्न जिलों के 65 खिलाड़ी 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़, तवा फेंक, लांग जंप, गोला फेंक इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं. विजेताओं की घोषणा मंगलवार शाम को की जाएगी.

बारात में हर्ष फायर करने वाले बीजेपी नेता ने कान पकड़े, मांगी माफी

▶ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

इंदौर. शादी समारोह में हर्ष फायर करने वाला युवक खजराना पुलिस की गिरफ्त में आ गया. आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी युवक बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है.

खजराना थाना प्रभारी मनोज कुमार सेंधव ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक बारात के दौरान रायफल से हर्ष फायर करता नजर आ रहा था. वीडियो की तस्दीक और

पहचान के बाद पुलिस ने आरोपी 30 वर्षीय पृथ्वी सिंह पिता कुंवर सिंह सोलंकी, निवासी सूरज नगर, खजराना को हिरासत में लिया. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात कहते हुए कान पकड़कर माफी मांगी.

एंबुलेंस को रास्ता देना मानवता का पहला कर्तव्य

▶ पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक जवान और प्रहरी ने दौड़ लगाकर बनाया रास्ता

▶ एंबुलेंस चालक ने किया सैल्यूट

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के व्यस्त पलासिया चौराहे पर मानवता का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला. रेड सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक के बीच अचानक सायरन बजाती एक एंबुलेंस पहुंची, जो गंभीर मरीज को लेकर अस्पताल जा रही थी. स्थिति को भांपते हुए वहां तैनात ट्रैफिक जवान सुमंत सिंह और ट्रैफिक प्रहरी हिमांशु सिंह ने तुरंत सक्रियता दिखाई और गाड़ियों को साइड देने का इशारा किया.

अधिकांश वाहन चालकों ने फौरन रास्ता बना दिया, लेकिन बीच में एक ऑटो बंद हो जाने से एंबुलेंस कुछ पल के लिए रुक गई. ऐसे में जवान और प्रहरी ने दौड़ लगाकर ऑटो को धक्का देकर उसे साइड में कर दिया. उनकी इस तत्परता और संवेदनशील कदम से एंबुलेंस कुछ ही सेकंड में निकल गई. एंबुलेंस चालक और डॉक्टर ने रास्ता बनाने वाले जवानों को हाथ उठाकर सैल्यूट किया. वहीं, यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद नागरिकों ने भी दोनों की सराहना की.

यातायात पुलिस की अपील...

ट्रैफिक विभाग के अनुसार, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत शहरवासियों को लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि एंबुलेंस या इमरजेंसी वाहन को रास्ता देना हर नागरिक का पहला कर्तव्य है. एंबुलेंस का सायरन सुनते ही वाहन को धीमा करें और साइड दें, शांत रहकर ट्रैफिक की स्थिति समझें, ओवरस्पीड न करें, रेड सिग्नल पर भी ट्रैफिक पुलिस के संकेत पर विवेक से वाहन आगे बढ़ाएं, आगे वाले ड्राइवरों को हाथ या लाइट से इशारा करें कि एंबुलेंस आ रही है, याद रखें आपके कुछ सेकंड की सतर्कता किसी का जीवन बचा सकती है.

पैदल जा रहे युवक को बस ने मारी टक्कर, मौके से भागा ड्राइवर

▶ युवक की मौत, कनाड़िया पुलिस ने बस जब्त कर थाने में खड़ी की

इंदौर. कनाड़िया क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ, जब युवक पैदल जा रहा था, तभी इंदौर-देवास के बीच चलने वाली उपनगरीय बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद बस ड्राइवर वाहन वहीं छोड़कर भाग गया. पुलिस ने बस जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है.

थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने

बताया कि मृतक की पहचान 39 वर्षीय विकास पुत्र रमेश तिलोदिया के रूप में हुई है. वह पिपल्याहाना में एक दुकान पर काम करता था, शाम को वह दोस्त के साथ जा रहा था. दोस्त ने उसे ब्रिज तक छोड़ा और वह पैदल दुकान की ओर बढ़ रहा था, तभी रजवाड़ी होटल के पास देवास जा रही बस ने उसे चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि बस की टक्कर से विकास सड़क पर गिर पड़ा. लोगों ने शोर मचाकर बस रुकवाई, लेकिन ड्राइवर मौके से भाग निकला. घायल विकास को तुरंत एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

दो घंटे में पकड़ाए शातिर चेन स्नैचर

▶ अन्नपूर्णा पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई

इंदौर. शहर की अन्नपूर्णा पुलिस ने चेन स्नैचिंग की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए मात्र दो घंटे के भीतर ही दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयोग चोरी की मोटरसाइकिल और महिला से छीनी गई दो तोले वजन की सोने की चेन बरामद की है.

पुलिस के अनुसार, घटना मिश्रनगर कॉलोनी में रहने वाली राधा गेहलोद के साथ उस समय हुई, जब वह मंदिर से लौट रही थीं, तभी उनके घर के सामने बाइक सवार दो बदमाशों ने गले से चेन झपट ली और भाग निकले. शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी अजय कुमार नायर ने फरियादी और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाकर तत्काल टीम बनाई. पुलिस ने 60

फीट रोड सुदामानगर क्षेत्र में दोनों संदिग्धों को देखा और घेराबंदी की. खुद को घिरा देख बदमाश मोटरसाइकिल से भागने लगे, लेकिन दशहरा मैदान के पास गिरकर घायल हो गए और पकड़े गए. पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया.

थाना प्रभारी अजय नायर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 29 वर्षीय माधव बोराड़े निवासी गुरुशंकर नगर और 23 वर्षीय रंजीत पंचोले निवासी ऋषि पैलेस हैं. माधव के खिलाफ लूट और चोरी के 11 प्रकरण दर्ज हैं, जबकि रंजीत पर आठ अपराध आर्म्स एक्ट और मारपीट के दर्ज हैं. आरोपी माधव वही शातिर चेन लुटेरा है, जो दो साल पहले जूनी इंदौर में पुलिस से बचने के लिए फ्लाईओवर से कूद गया था, जिसके बाद उसके पैरों में रॉड डाली गई थी. नायर ने यह भी बताया कि दोनों ने घटना के लिए सपना संगीता क्षेत्र से चोरी की गई बाइक एमपी 09 एनडब्ल्यू 6634 का उपयोग किया था.

22 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो युवक धराए

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राइम ब्रांच लगातार सक्रिय है. इसी कड़ी में टीम ने लक्ष्मीबाई स्टेशन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज क्षेत्र से दो युवकों को 22 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. जब्त माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 2.20 लाख रुपए बताई गई है.

एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात एमआर-04 रोड पर दो संदिग्ध युवकों को मेहरून रंग की हीरो होंडा बाइक पर बैठे देखा. पुलिस वाहन को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने अपने नाम शईम पिता सलीम खान और मोहम्मद शारिक पिता मोहम्मद शकील, दोनों निवासी बेटमा, इंदौर बताए. तलाशी में बाइक के टूलबॉक्स से पन्नी में पैक 22 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक सहित 2.50 लाख रुपए कीमत का माल जब्त किया है. पूछताछ में दोनों ने सस्ते दामों पर यह नशे का पदार्थ खरीदकर शहर में नशे के आदी लोगों को ऊंचे दामों में बेचने की बात कबूल की. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

जन संवाद में उठी नशामुक्त समाज की आवाज

▶ पुलिस और जनता ने मिलकर काम करने का लिया निर्णय

इंदौर. आजाद नगर क्षेत्र स्थित पालीवाल समाज धर्मशाला में पुलिस-जनता जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें नशे के खिलाफ जागरूकता और आपसी विश्वास मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया.

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन-1 कृष्ण लालचंदानी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त रविंद्र बिलवाल सहित आजाद नगर थाना

पुलिस की टीम मौजूद रही. इस अवसर पर मुसाखेड़ी, भील कॉलोनी, अभिषेक नगर, मयूर नगर, पवनपुरी, यादव नगर और चौधरी पार्क जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में नागरिक, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम में अमित सिंह ने कहा कि समाज की सहभागिता के बिना अपराध और नशे के खिलाफ लड़ाई अधूरी है. उन्होंने नागरिकों से खुलकर संवाद किया और उनके प्रश्नों का समाधान भी किया. डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि पुलिस का अभियान तभी सफल होगा, जब जनता सहयोग देगी. उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कदम बढ़ाने की अपील की. कार्यक्रम में रखी गई शिकायत पेटी में नागरिकों ने गोपनीय रूप से अपने सुझाव और शिकायतें डालीं.

हालात ▶ वार्ड-41 में घरों के पीछे बैक लाइनों में लोग डाल रहे घरों का कूड़ा-करकट

लापरवाही के चलते शहर की गलियों में फिर दिखने लगे कचरे के ढेर

इंदौर. शहर को स्वच्छता में लगातार आठ वर्ष से देश में अव्वल बनाने में जबरजस्त उत्साह और जुनून के साथ प्रशासन को सहयोग देने वाले लोगों का जोश लगता है अब धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगा है. शहर के अधिकांश क्षेत्रों में अब फिर से कचरे के ढेर और गंदगी दिखाई देने लगे हैं. अपने घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा वाहन में ही डालना लोगों की जहां जिम्मेदारी है और खुले में कचरा फेंकना बड़ी लापरवाही है. देखने में आ रहा है कि लोग बेधड़क होकर फिर से खुले में कचरा फेंकने लगे हैं.

इसी तरह का मामला वार्ड 41 में भी सामने आया है, जहां खुले में कचरे का ढेर दिखाई दिया. यह वार्ड तिलक नगर के आगे रिंग रोड पर बंगाली चौराहा के पास आता है. यहां के श्रीराम नगर, काशी नगर और कैलाशपुरी क्षेत्र में देखने में आया कि कॉलोनियों के घरों के पीछे बनी बैक लाइनों के मुहाने पर कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाते प्रतीत हुए. साफ-सुथरी कालोनी माने जाने वाले क्षेत्र में इस तरह कचरे के ढेर, उससे उठती बदबू और भिनभिनाते मक्खी-मच्छर लोगों के लिए कई समस्या खड़ी कर रहे हैं. इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों, खासकर छोटे बच्चों में फैलने का खतरा पैदा हो गया है. खुले में कचरा फेंकने को लेकर क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र के ही कुछ लापरवाह लोगों की करतूत बताई है. इस पर जिम्मेदार निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को ध्यान देने की जरूरत है.

यह बोले रहवासी...

कचरा वाहन सुबह जल्दी नहीं आ पाता. इस कारण सुबह जल्दी अपने काम-धंधे पर जाने वाले अपने घर का कचरा गली के मुहाने पर फेंक जाते हैं. यह गलत है, उन्हें अपना डस्टबीन बाहर छोड़ जाना चाहिए, ताकि उसके कचरे को कचरा वाहन में डाला जा सके.

- प्रकाश कोठारी

सीवरेज की बड़ी मेन लाईन डलने से लाइन के चोक होने की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन अब बैक लाइन में लोगों द्वारा फैंका जा रहा कचरा क्षेत्र के लिए नुकसान वाला होने के साथ-साथ रहवासियों के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बन रहा है. इस समस्या का भी निराकरण होना चाहिए.

- नवलकिशोर कुमावत

क्लीन सिटी के कई फायदे हैं. पार्षद के अलावा वार्डवासियों की भी यही मंशा रहती है कि उनका क्षेत्र साफ-सुथरा रहे, स्वच्छ रहे. यह हम सबकी जिम्मेदारी भी है, जिसे हमें निभाना पड़ेगा. कचरा फेंकने वालों पर जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, यह समस्या बनी रहेगी.

- अनिल पाराशर

सख्ती से चालानी कार्रवाई की मुहिम शुरू की जाएगी-मकान मालिक की लापरवाही है, उन्हें अपने किरायदारों को जागरूक करना चाहिए. कुछ क्षेत्र में हमने कैमरे लगाकर सख्ती से चालानी कार्रवाई की है. अब कैलाशपुरी, काशीनगर, चेतननगर में मुहिम चलाई जाएगी.

- प्रणव मण्डल, पार्षद